सीमाशुल्क

खंड 65 – सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ङ, जो अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि, —

(i) भारत में किसी उद्यम को, अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाया जा सके; और

(ii) केंद्रीय सरकार को, व्यक्तियों के ऐसे किसी वर्ग या प्रवर्ग को अधिसूचित करने के लिए सशक्त किया जा सके, जो खंड (ग) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन कर सकते हैं।

खंड 66 – धारा 28च की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का नाम अग्रिम विनिर्णय (केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा-कर) प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित किया जा सके।

खंड 67 – धारा 28ज का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि ऐसे माल के, जिसका भारत से निर्यात या भारत में आयात किया जाता है, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा उद्‌गम के नियमों के अवधारण के लिए आवेदन के लिए उपबंध किया जा सके।

खंड 68 – धारा 127डक का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि धारा 127झ की उपधारा (1) के उपबंधों का उपधारा (6) के उपबंधों से अपवर्जन किया जा सके और उपधारा (7) के पश्चात् उपधारा (8) को अन्तःस्थापित करके किसी आवेदक द्वारा सहयोग न करने की दशा में समझौता आयोग द्वारा अधिकरण को मामला वापस भेजने के लिए उपबंध किया जा सके।

खंड 69 – धारा 128क की उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सीमाशुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा अपनी अधिकारिता के अधीन पारित किसी आदेश की परीक्षा को सुकर बनाने के लिए मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त को सशक्त किया जा सके।

खंड 70 – धारा 129क का संशोधन करने के लिए है जिससे कि, बोर्ड को, दो मुख्य आयुक्तों से मिलकर बनने वाली समिति को उसकी ओर से अपील करने के लिए समुचित अधिकारी को निदेश देने के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा सशक्त किया जा सके।

खंड 71 – धारा 129घ का संशोधन करने के लिए है जिससे कि मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त को, ऐसी किसी कार्यवाही का, जिसमें सीमाशुल्क आयुक्त ने कोई विनिश्चय किया है या आदेश पारित किया है अभिलेख मंगाने और उसकी परीक्षा करने के लिए सशक्त किया जा सके।

खंड 72 – सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को आयातित वस्तुओं पर ऐसा अतिरिक्त शुल्क, जो मूल्यानुसार चार प्रतिशत से अधिक न हो, जो भारत में क्रय या विक्रय या परिवहन पर ऐसी वस्तुओं या समान वस्तुओं पर उद्‌ग्रहणीय विक्रय कर, मूल्य वर्धित कर, स्थानीय करों या अन्य प्रभारों को प्रति संतुलित करे, उद्‌ग्रहण करने के लिए भी समर्थ बनाया जा सके।

खंड 73 – सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3क का लोप करने के लिए है।

खंड 74 – सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि,—

(क) अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष और टैरिफ मदों के अधीन आने वाली वस्तुओं के संबंध में आधारी सीमाशुल्क को घटाया जा सके, अर्थात् :–

अध्याय 25 (2510 के सिवाय), 26 (टैरिफ मद 2620 11 00, 2620 19 00, 2620 30 10 और 2620 30 90), 27 (टैरिफ मद 2701 12 00, 2701 20 10, 2701 20 90, 2709 00 00 और 2716 00 00 और शीर्ष 2702, 2703, 2704, 2711 और 2714 के सिवाय), 28 (टैरिफ मद 2801 20 00, 2812 10 10, 2812 10 21, 2812 10 22, 2812 10 41, 2812 10 42, 2812 10 43, 2812 10 47, 2812 10 60, 2814 10 00, 2814 20 00, 2845 10 00, 2851 00 91 और 2851 00 99 के सिवाय), 29 (टैरिफ मद 2901 10 00, 2901 21 00, 2901 22 00, 2901 23 00, 2901 24 00, 2901 29 10, 2901 29 20, 2901 29 90, 2902 11 00, 2902 19 00, 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00, 2902 44 00, 2902 50 00, 2902 60 00, 2902 70 00, 2902 90 10, 2902 90 20, 2902 90 30, 2902 90 40, 2902 90 50, 2902 90 90, 2903 15 00, 2903 21 00, 2903 30 11, 2903 30 19, 2904 90 80, 2905 19 10, 2905 19 90, 2905 43 00 , 2905 44 00 , 2918 19 10, 2918 19 90, 2920 10 10, 2920 10 20, 2920 90 41, 2920 90 42, 2920 90 43, 2920 90 44, 2920 90 45, 2920 90 47, 2920 90 48, 2920 90 51, 2920 90 52, 2920 90 53, 2920 90 54, 2920 90 55, 2920 90 56, 2920 90 57, 2920 90 58, 2920 90 61, 2920 90 62, 2920 90 63, 2920 90 64, 2920 90 65, 2920 90 66, 2920 90 99, 2921 19 11, 2921 19 14, 2921 19 90, 2922 11 11, 2922 11 12, 2922 11 13, 2922 11 14, 2922 11 15, 2922 11 16, 2922 11 90, 2922 12 11, 2922 12 12, 2922 12 90, 2922 19 10, 2922 19 20, 2922 19 30, 2922 19 90, 2926 10 00, 2930 90 91, 2930 90 99, 2933 39 30, 2939 29 10, 2939 29 90 के सिवाय), 30 (टैरिफ मद 3006 60 10, 3006 60 20 और 3006 60 30 के सिवाय), 31 (टैरिफ मद 3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51 00, 3105 59 00, 3105 60 00, 3105 90 10 और 3105 90 90 के सिवाय), 32 (शीर्ष 3201 के सिवाय), 33 (शीर्ष 3301 के सिवाय), 34, 35 (शीर्ष 3501, 3502, 3503, 3504 और 3505 के सिवाय), 36, 37 (टैरिफ मद 3701 20 00 और 3702 20 00 के सिवाय), 38 (टैरिफ मद 3809 10 00, 3818 00 10 और 3818 00 90, 3824 60 10 और 3824 60 90 और शीर्ष 3823 के सिवाय), 39, 40 (टैरिफ मद 4001 10 10, 4001 10 20, 4001 21 00, 4001 22 00 और 4011 30 00 और उपशीर्ष 4001 29 के सिवाय), 41 (शीर्ष 4101, 4102 और 4103 के सिवाय), 42, 43 (शीर्ष 4303 और 4304), 44 (शीर्ष 4401, 4402 और 4403 के सिवाय), 45, 46, 48 (टैरिफ मद 4801 00 10 और 4801 00 90 के सिवाय), 49 (टैरिफ मद 4902 10 10, 4902 10 20, 4902 90 10, 4902 90 20, 4904 00 00, 4905 10 00, 4905 91 00, 4905 99 10 और 4905 99 90 के सिवाय), 50 (शीर्ष 5004, 5005, 5006 और 5007), 51 (टैरिफ मद 5105 29 10 और शीर्ष 5101, 5102, 5103 और 5104 के सिवाय), 52 (शीर्ष 5201, 5202 और 5203 के सिवाय), 53 (शीर्ष 5301 और 5302 के सिवाय), 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,

71, 72, 73, 74, 76 (शीर्ष 7615), 78, 79, 81, 82, 83, 84 (उपशीर्ष 8471 70 और टैरिफ मद 8407 21 00 और 8456 91 00 के सिवाय), 85 (टैरिफ मद 8532 21 00, 8532 24 00, 8532 90 00, 8533 90 00, 8540 40 00, 8541 90 00, 8543 11 00 और शीर्ष 8542 के सिवाय), 86, 87 (टैरिफ मद 8710 00 00 के सिवाय), 88 (टैरिफ मद 8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00, 8803 10 00, 8803 20 00 और 8803 30 00 के सिवाय), 89 (टैरिफ मद 8908 00 के सिवाय), 90 (टैरिफ मद 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00, 9030 82 00 और 9031 41 00 के सिवाय), 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 (शीर्ष 9704 के सिवाय) और 98;

(ख) अध्याय 6 (शीर्ष 0603) के अधीन आने वाली वस्तुओं के संबंध में आधारी सीमाशुल्क को बढ़ाया जा सके;

(ग) अध्यायों, शीर्षों, उपशीर्षों और टैरिफ मदों के अधीन आने वाली वस्तुओं के संबंध में अधिमानी क्षेत्रों के लिए आधारी सीमाशुल्क को घटाया जा सके, अर्थात् :–

अध्याय 25 (शीर्ष 2504), 29 (टैरिफ मद 2939 41 10, 2939 41 20, 2939 41 90, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00 और 2939 59 00 और शीर्ष 2936, 2937 और 2941), 30 (शीर्ष 3005 और 3006 के सिवाय), 34 (टैरिफ मद 3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00) और 38 (टैरिफ मद 3801 10 00, 3802 10 00, 3812 10 00)।

खंड 75 – केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क में उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त माल के संबंध में विनिर्माता ऐसे माल पर शुल्क का संदाय नहीं करेगा।

खंड 76 – केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 23क का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि,–

(क) (i) भारत में किसी संयुक्त उद्यम को "आवेदक" के रूप में, सम्मिलित किया जा सके और (ii) केन्द्रीय सरकार को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को खंड (ग) में "आवदेक" के रूप में अनुसूचित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

(ख) खंड (ङ) में अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के नाम को अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण केन्द्रीय सीमाशुल्क के रूप में परिवर्तित किया जा सके।

खंड 77 – धारा 32तक का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि धारा 32ठ की उपधारा (1) के उपबंधों को उपधारा (6) से अपवर्जित किया जा सके और किसी आवेदक द्वारा असहयोग की दशा में समझौता आयोग द्वारा किसी मामले को अधिकरण को वापस भेजने हेतु उपबंध करने के लिए उपधारा (7) के पश्चात् उपधारा (8) को अंतःस्थापित किया जा सके।

खंड 78 – किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा उसकी अधिकारिता के अधीन पारित किसी आदेश की परीक्षा को सुकर बनाने के लिए धारा 35क की उपधारा (5) में अंतर्विष्ट "आयुक्त", शब्द के स्थान पर, "मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त", शब्द रखने के लिए है।

खंड 79 – धारा 35ख का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि,—

(क) समुचित प्राधिकारी को अपनी ओर से अपील करने का निदेश देने के प्रयोजन के लिए दो मुख्य आयुक्तों की एक समिति का गठन करने के लिए केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को सशक्त बनाने के लिए उपधारा (1ख) को अंतःस्थापित किया जा सके;

(ख) उपधारा (2) में आने वाले "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति" शब्दों को रखा जा सके।

खंड 80 – धारा 35ङ में आने वाले "बोर्ड" शब्द के स्थान पर "मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति" शब्द रखने के लिए है।

खंड 81 – केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की तीसरी अनुसूची के स्थान पर तीसरी अनुसूची प्रतिस्थापित करने के लिए है।

खंड 82 – केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के, यथास्थिति, नियम 57गग या नियम 57कघ को चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भूतलक्षी रूप से संशोधित करने के लिए है जिससे कि उक्त नियमों में निर्दिष्ट रकम के लिए वसूली के उपबंधों को सम्मिलित किया जा सके।

खंड 83 – केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 6 को पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भूतलक्षी रूप से संशोधित करने के लिए है, जिससे कि उक्त नियम में विनिर्दिष्ट राशि की वसूली के उपबंध सम्मिलित किए जा सकें।

खंड 84 – भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 277(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 88/88-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1988 को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने के लिए है जिससे कि उक्त अधिसूचना के अधीन 21.2.2000 से 1.3.2003 तक की अवधि के लिए छूट के प्रयोजनों के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 2 के खंड (चच) में यथाउपबंधित 'ग्रामीण क्षेत्र' की परिभाषा को लागू किया जा सके।

खंड 85 – सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिभार के रूप में उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर संघ के प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्य उपकर के उद्ग्रहण के लिए है।

खंड 86 – केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची को क्रमशः आठवीं और नौवीं अनुसूची में दी गई रीति में संशोधित करने के लिए है।

खंड 87 – केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 15 में एक अध्याय टिप्पण, 1 मार्च, 1986 से 28 फरवरी, 2005 तक भूतलक्षी रूप से अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि परिष्कृत खाद्य तेलों के संबंध में परिष्करण की प्रक्रिया विनिर्माण की कोटि में होगी।

खंड 88 – वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 को सेवा-कर के संबंध में निम्नलिखित रीति में संशोधित करने के लिए है, अर्थात् :–

(i) उपखंड (क) और उपखंड (ख) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 और धारा 66 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि कतिपय विद्यमान कराधेय सेवाओं की परिधि को उपांतरित और निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली निम्नलिखित सेवाओं पर सेवा-कर अधिरोपित किया जा सके –

(क) किसी व्यक्ति को, उसके द्वारा पाइप लाइन या अन्य नलिका के माध्यम से जल से भिन्न माल के परिवहन के संबंध में ;

(ख) किसी व्यक्ति को उसके द्वारा स्थल बनाने और निकासी, उत्खनन और मिट्टी हटाने तथा ढहाने तथा वैसे ही समान क्रियाकलापों के संबंध में ;

(ग) किसी व्यक्ति को उसके द्वारा झमाई के संबंध में ;

(घ) किसी व्यक्ति को उसके द्वारा सर्वेक्षण करने और नक्शा तैयार करने के संबंध में, सरकार के नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण से भिन्न ;

(ङ) किसी व्यक्ति को उसके द्वारा सफाई कार्य के संबंध में ;

(च) किसी क्लब या संगम को, उसके द्वारा अभिदाय या किसी अन्य रकम के लिए सेवाओं, सुविधाओं या फायदों का उपबंध करने के संबंध में ;

(छ) किसी व्यक्ति को, उसके द्वारा पैकेजिंग क्रियाकलाप के संबंध में ;

(ज) किसी व्यक्ति को, उसके द्वारा डाक सूची संकलन और डाक के संबंध में ;

(झ) किसी व्यक्ति को, उसके द्वारा काम्प्लैक्स के सन्निर्माण के संबंध में,

सेवा-कर, सेवा प्रदाता द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सेवाओं के लिए प्रभारित कुल रकम के दस प्रतिशत की दर से उपरोक्त कराधेय सेवाओं पर उद्गृहीत किया जाना है।

(ii) उपखंड (ग) धारा 67 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रभारित सकल रकम में ऐसी सेवा के उपबंध से पूर्व, दौरान या उसके पश्चात् कराधेय सेवा मद्दे प्राप्त कोई रकम सम्मिलित होगी।

(iii) उपखंड (घ) धारा 69 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सेवा-कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति से भिन्न ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में तथा ऐसे प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन करेगा।

(iv) उपखंड (ङ) धारा 70 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सेवा-कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति से भिन्न अधिसूचित व्यक्ति या व्यक्ति के वर्ग, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में और ऐसे अंतराल पर, जो विहित किया जाए, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(v) उपखंड (च) धारा 73 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उस दशा में जहां कोई सेवा-कर उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या गलत प्रतिदाय किया गया है, वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को सूचना की तामील करने और सेवा-कर की रकम का अवधारण करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

(vi) उपखंड (छ) धारा 74 का संशोधन करने के लिए है जिससे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को, अभिलेख से प्रकट किसी भूल का सुधार करने की दृष्टि से उसके द्वारा पारित आदेश का संशोधन करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

(vii) उपखंड (ज) धारा 78 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन अवधारित सेवा-कर और धारा 75 के अधीन संदेय ब्याज का, ऐसे सेवा-कर का अवधारण करने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर संदाय किया जाता है वहां संदाय की जाने वाली शास्ति इस प्रकार अवधारित सेवा-कर के पच्चीस प्रतिशत होगी।

(viii) उपखंड (झ) धारा 83 का संशोधन करने के लिए है जिससे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 33क को सेवा-कर के संबंध में लागू किया जा सके।

(ix) उपखंड (ञ) धारा 83क को अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि सेवा-कर के मामलों में शास्ति के न्यायनिर्णयन की शक्तियों का उपबंध किया जा सके।

(x) उपखंड (ट) धारा 84 का संशोधन करने के लिए है जिससे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को, उसके अधीनस्थ किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किसी विनिश्चय या पारित आदेश की किसी कार्यवाही के अभिलेखों को मंगाने और ऐसी जांच करने या, ऐसी जांच कराने और उस पर ऐसे आदेश पारित करने के लिए, जो वह ठीक समझे, सशक्त बनाया जा सके।

(xi) उपखंड (ठ) धारा 85 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के अधीनस्थ किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा।

(xii) उपखंड (ड) धारा 86 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 73 या धारा 83क या धारा 84 के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील, अपील अधिकरण में की जा सकेगी और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील अधिकरण में उसकी ओर से अपील करने का निदेश दे सकेगा।

(xiii) उपखंड (ढ) धारा 94 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को, उस समय और रीति तथा प्ररूप, जिसमें धारा 69 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा और धारा 70 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन दी जाने वाली विवरणियों के प्ररूप, रीति और अंतराल के विषय में नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके।

खंड 89 – केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जिससे विक्रय कीमत निकालने के लिए कार्य संविदाओं के संबंध में कुल प्रतिफल से की जाने वाली कटौतियों के लिए उपबंध किया जा सके, राज्यों के मूल्यवर्धित कर विधानों को "विक्रय कर विधि" और "साधारण विक्रय कर विधि" की परिभाषा की परिधि के भीतर सम्मिलित किया जा सके, और "कार्य संविदा" पद को परिभाषित किया जा सके।

खंड 90 – विहित प्ररूप में घोषणा देने के लिए है, जिससे केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 5(3) के अधीन प्रसुविधा का उपयोग किया जा सके और किसी अभिहित भारतीय वाहन में उसकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए वायुयान ट्रबाइन ईंधन के विक्रय को सम निर्यात के रूप में माने जाने के लिए है।

खंड 91 – केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की विद्यमान धारा 6(3) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे राजनयिक मिशनों, संयुक्त राष्ट्र और उनके राजदूतों को उनके शासकीय और निजी उपयोग के लिए माल के अंतरराज्यिक विक्रय पर केंद्रीय विक्रय कर के संदाय से छूट के लिए उपबंध किया जा सके।

खंड 92 – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है जिससे विक्रय कीमत का अवधारण करने के लिए किसी कार्य संविदा के संबंध में, कुल प्रतिफल से कटौतियां विहित करने वाले नियम बनाने के लिए सरकार को सशक्त करने के लिए है।

बैंककारी नकद संव्यवहार कर

अध्याय 7 (जिसमें खंड 93 से खंड 112 तक हैं) किसी अनुसूचित बैंक में, किए गए कतिपय बैंककारी नकद संव्यवहारों पर कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करता है।

खंड 93 – यह अध्याय के विस्तार, प्रारंभ और लागू होने से संबंधित है। इस प्रस्तावित अध्याय का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। यह 1 जून, 2005 को प्रवृत्त होगा।

खंड 94 – अध्याय में प्रयुक्त विभिन्न पदों और अभिव्यक्तियों, जैसे "अपील अधिकरण", "निर्धारण अधिकारी", "बोर्ड", "व्यक्ति", "अनुसूचित बैंक", "कराधेय बैंककारी संव्यवहार", आदि को परिभाषित करता है।

उपखंड (8) कराधेय बैंककारी संव्यवहारों को परिभाषित करता है, जिससे अभिप्रेत हैं– (i) किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित बैंक से किसी एकल दिवस को दस हजार रुपए से अधिक नकद की (किसी भी रीति से) निकासी करना; या (ii) किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित बैंक से, ऐसे बैंक में निक्षेपित नकद में से किसी एकल दिवस को दस हजार रुपए से अधिक की कुल रकम का बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक आदि क्रय करना; या (iii) किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित बैंक से अपनी सावधि जमा के नकदीकरण पर दस हजार रुपए से अधिक की प्राप्ति। अन्य परिभाषाएं स्वतः स्पष्टीकारक हैं।

खंड 95 – किसी अनुसूचित बैंक के साथ किए गए प्रत्येक कराधेय बैंककारी संव्यवहारों के मूल्य के 0.1 प्रतिशत की दर पर "बैंककारी नकद संव्यवहार कर" के नाम से कर प्रभारित करने के लिए उपबंध करता है और ऐसा कर ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होगा, जो किसी अनुसूचित बैंक से नकद निकासी करता है या किसी अनुसूचित बैंक से उस बैंक में जमा नकद से बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक आदि क्रय करता है या किसी अनुसूचित बैंक में अपनी सावधि जमा के नकदीकरण पर नकद प्राप्त करता है या किसी धारक के लिए भुनाता है, जिसे अनुसूचित बैंक द्वारा नकद में संदाय किया जाता है। तथापि, ऐसा कोई कर संदेय नहीं होगा यदि सावधि जमा रकम को बैंक के किसी खाते में जमा किया जाता है।

खंड 96 – किसी कराधेय बैंककारी संव्यवहार के मूल्य के लिए उपबंध करता है। कराधेय बैंककारी संव्यवहार का मूल्य— (i) किसी अनुसूचित बैंक से निकाली की गई नकद रकम, या (ii) किसी अनुसूचित बैंक में कोई बैंक ड्राफ्ट या कोई बैंकर्स चैक आदि क्रय करने के लिए जमा की गई नकद रकम, या (iii) किसी अनुसूचित बैंक में सावधी जमा के नकदीकरण पर प्राप्त नकद रकम, होगा।

खंड 97 – किसी अनुसूचित बैंक द्वारा बैंककारी संव्यवहार कर के संग्रहण और वसूली के लिए उपबंध करता है। किसी अनुसूचित बैंक द्वारा संगृहीत बैंककारी संव्यवहार की रकम का, उस मास के, जिसमें बैंककारी संव्यवहार कर संग्रहण किया जाता है, आगामी मास के पन्द्रहवें दिन तक सरकार के खाते में संदाय किया जाना है।

खंड 98 – निर्धारण अधिकारी को विहित विवरणियां देने के लिए उपबंध करता है। उपखंड (1) में यह अधिकथित है कि अनुसूचित बैंक (निर्धारिती) बैंककारी नकद संव्यवहार कर का संग्रहण करने के लिए और विवरणियां फाइल करने के लिए उत्तरदायी होगा। अनुसूचित बैंक के साथ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी कराधेय बैंककारी संव्यवहारों के संबंध में ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप और रीति में होंगी और उनमें ऐसी विशिष्टियां दी जाएंगी, जो अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

उपखंड (2) निर्धारण अधिकारी को किसी निर्धारिती से, जो बैंककारी नकद संव्यवहार कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है और जिसने विवरणी नहीं दी है, ऐसी विवरणी, ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए, सूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

उपखंड (3) उस दशा में, जहां किसी निर्धारिती ने अनुज्ञात समय के भीतर कोई विवरणी नहीं दी है या पहले दी गई विवरणी में किसी गलती या गलत कथन का पता लगने पर निर्धारण किए जाने से पूर्व विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी देने के लिए उपबंध करता है।

खंड 99 – में ऐसे निर्धारण के आधार पर संदेय या प्रतिदेय कराधेय बैंककारी संव्यवहार और बैंककारी नकद संव्यवहार कर के निर्धारण के संबंध में उपबंध अंतर्विष्ट हैं। यह और उपबंध करता है कि सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् कोई निर्धारण नहीं किया जाएगा। यह भी उपबंध करता है कि निर्धारिती को प्रतिदेय रकम उस व्यक्ति को, जिससे नियमों में अधिकथित समय के भीतर उसे संगृहीत किया गया था, वापस की जानी चाहिए।

खंड 100 – निर्धारण अधिकारी द्वारा उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें आदेश में संशोधन किया जाना चाहा गया था, एक वर्ष के भीतर पारित किसी आदेश के अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशुद्धि करने का उपबंध करता है। निर्धारण अधिकारी स्वप्रेरणा से या निर्धारिती की प्रेरणा से भूल की परिशुद्धि कर सकेगा। और, ऐसा कोई संशोधन, जिसका प्रभाव निर्धारण को बढ़ाना, प्रतिदाय को कम करना या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व में वृद्धि करना है, निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही किया जाएगा।

खंड 101 – ऐसे प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए, जहां संगृहीत बैंककारी नकद संव्यवहार कर खंड 97 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया है, 1 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए उपबंध करता है।

खंड 102 – नकद संव्यवहार कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी अनुसूचित बैंक पर कर का संग्रहण करने में असफल रहने के लिए या उसे केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहने के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए उपबंध करता है। शास्ति उस दशा में जहां निर्धारिती संपूर्ण बैंककारी नकद संव्यवहार कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, उतनी रकम के बराबर होगी, जितनी बैंककारी नकद संव्यवहार कर की रकम संगृहीत नहीं की गई है। अन्य मामलों में, केंद्रीय सरकार के खाते में बैंककारी नकद संव्यवहार कर का संदाय करने में असफल रहने पर, अधिरोपित शास्ति प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए होगी। तथापि, इस खंड के अधीन अधिरोपणीय शास्ति, किसी भी दशा में, उस बैंककारी नकद संव्यवहार कर की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो संदत्त की जानी थी।

खंड 103 – खंड 98 के अधीन विवरणी देने में असफल रहने के लिए शास्ति का उपबंध करता है। ऐसे मामलों में शास्ति, उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए होगी।

खंड 104 – सूचना के अनुपालन में असफल रहने के लिए शास्ति से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि कोई निर्धारिती, जो खंड 98 के उपखंड (2) के अधीन जारी सूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह शास्ति के रूप में उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक सौ रुपए का संदाय करने के लिए दायी होगा।

खंड 105 – यह उपबंध करता है कि यदि निर्धारिती यह साबित करता है कि उक्त खंड के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए युक्तियुक्त कारण था तो खंड 102, खंड 103 या खंड 104 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी।

यह और प्रस्ताव है कि इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

खंड 106 – यह उपबंध करता है कि आय-कर अधिनियम की धारा 120, धारा 131, धारा 133क, धारा 156, धारा 178, धारा 220 से धारा 227, धारा 229, धारा 232, धारा 260क, धारा 261, धारा 262, धारा 265 से 269 धारा 278ख, धारा 282 और धारा 288 से धारा 293 जो अन्य बातों के साथ, जहां तक उनका संबंध बैंककारी नकद संव्यवहार कर के लागू होने से है, मांग की सूचना, कर की वसूली और संग्रहण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को अपीलें, प्राधिकृत प्रतिनिधियों का उपसंजात होना आदि से संबंधित है।

खंड 107 – जब निर्धारिती इस अध्याय के अधीन निर्धारित किए जाने वाले दायित्व से इन्कार करता है या किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा खंड 99 या खंड 100 के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध आय-कर आयुक्त (अपील) को, अपील के लिए उपबंध करता है। इस खंड में अपील अधिकरण में अपील, आदि फाइल करने के लिए समय-सीमा और प्रक्रिया से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 249 से धारा 251 तक के उपबंध, यावत्शक्य ऐसे मामलों में लागू हो सकेंगे।

खंड 108 – आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा खंड 107 के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का उपबंध करता है। इस खंड में अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए समय-सीमा और प्रक्रिया से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि जहां इस खंड के अधीन कोई अपील फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252 से धारा 255 के तक के उपबंध यावत्शक्य उपांतरण सहित लागू होंगे।

खंड 109 – किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन, लेखा या विवरण प्रस्तुत करने के लिए, जो मिथ्या है, तीन वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने का दंड के रूप में उपबंध करता है। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि इस खंड के अधीन दंडनीय कोई अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत असंज्ञेय समझा जाएगा।

खंड 110 – उपबंध करता है कि खंड 109 के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना आरंभ नहीं किया जाएगा।

खंड 111 – केंद्रीय सरकार को इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि इस खंड के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

खंड 112 – केंद्रीय सरकार को इस अध्याय के अधीन उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर उन्हें दूर करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। केंद्रीय सरकार को यह शक्ति उस तारीख से, जिसको इस अध्याय के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, अर्थात् 1 जून, 2005 से दो वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी। इस खंड के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

प्रकीर्ण

खंड 113 – सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त अधिनियम में सरकारी बचत बैंक से संबंधित कतिपय उपबंध अंतर्विष्ट हैं। अधिनियम की धारा 3, अन्य बातों के साथ, "जमाकर्ता" पद को परिभाषित करती है। उक्त परिभाषा में एक परन्तुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि केवल व्यष्टिक विनिधानकर्ताओं को ही, उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, "निक्षेपकर्ता" की परिभाषा की परिधि में सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

खंड 114 – एक नई धारा 8ख के प्रतिस्थापन के द्वारा भारतीय स्टांप अधिनियम, 1949 को संशोधित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विद्यमान स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण और गैर पारस्परीकरण की स्कीम और ऐसी स्कीम से संबंधित लिखतें स्टांप ड्यूटी के लिए दायी नहीं होंगी।

खंड 115 – भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है।

यह प्रस्ताव है कि भारत की समग्र आकस्मिकता निधि को पचास करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच अरब रुपए तक किया जाए। भारत की समग्र संचित निधि की वृद्धि उस तारीख से प्रभावी होगी, जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

खंड 116 – अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की सूची को दसवीं अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए है।

खंड 117 –सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त अधिनियम में, समय-समय पर, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न बचत पत्रों से संबंधित कतिपय उपबंध हैं। उक्त अधिनियम की धारा 2, उसमें प्रयुक्त विभिन्न पदों को परिभाषित करती है। यह प्रस्ताव है कि "धारक" पद को परिभाषित किया जाए, जिससे केवल किसी व्यष्टि को ही, उस तारीख को या उसके पश्चात्, बचत पत्रों के संबंध में "धारक" की परिधि के भीतर लाया जाए, जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है। तथापि, यह संशोधन उस तारीख के पूर्व, जिसको विधेयक अधिनियमित किया जाता है, विधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए विनिधान को निर्बन्धित नहीं करता है।

यह संशोधन उस तारीख को प्रभावी होगा, जिसको इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

खंड 118 – अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 की अनुसूची को ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए है।

खंड 119 – सामान्य रूप से पेट्रोल के नाम से ज्ञात मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की दरों में वृद्धि करने के लिए है।

खंड 120 – उच्च गति डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की दरों में वृद्धि करने के लिए है।

खंड 121 – सामान्य रूप से पेट्रोल के नाम से ज्ञात मोटर स्पिरिट और उच्च गति तेल पर, यथास्थिति, उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क या अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की पचास पैसे प्रति लीटर वृद्धि की गई दर के आबंटन के लिए केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है क्योंकि विधेयक का खंड 98 और खंड 99 में किया गया संशोधन अनन्य रूप से राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए है। पेट्रोल और डीजल पर विद्यमान संशोधन से पूर्व की दरों से उद्ग्रहण किया जा रहा अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क धारा 10 की उपधारा (1) में यथा अंतर्विष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए आबंटित की जाती रहेगी।

खंड 122 – वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है।

खंड 123 – वित्त अधिनियम, 2003 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि निर्दिष्ट माल पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के उद्ग्रहण का विस्तार किया जा सके। 31 मार्च, 2005 के पश्चात् और चाय अपशिष्ट पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क का भी उत्सादन किया जा सके।

खंड 124 – वित्त अधिनियम, 2004 का, संशोधन करने के लिए है,–

उपखंड (क), उक्त अधिनियम की धारा 88 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अधीन 1.4.2000 से पूर्व संदत्त और केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय और उस पर ब्याज के संदाय के लिए उपयोग किए गए अतिरिक्त शुल्क के केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की वसूली के लिए तंत्र का उपबंध किया जा सके;

उपखंड (ख), वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 94 का संशोधन करने के लिए है, जिससे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क को शिक्षा उपकर के संबंध में सीमाशुल्क की संगणना से अपवर्जित किया जा सके।

उपखंड (ग), वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 98 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के प्रभार से संबंधित है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा के नीचे दी गई सारणी का संशोधन किया जाए, जो उन दरों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रभारित किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन उक्त सारणी के क्रम सं0 1 और 2 के सामने उनके स्तंभ (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के साधारण शेयरों या साधारण शेयरोन्मुख निधि की यूनिटों के कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के संबंध में प्रतिभूति संव्यवहार कर की दरों को 0.075 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.1 प्रतिशत करने के लिए हैं। यह और प्रस्ताव है कि क्रम सं0 3 के सामने स्तंभ (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के साधारण शेयरों या निधि की यूनिटों के कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के संबंध में प्रतिभूति संव्यवहार कर की दर को 0.015 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.02 प्रतिशत किया जाए। यह भी प्रस्ताव है कि क्रम सं0 4 के सामने स्तंभ (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के व्युत्पन्नों के कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के संबंध में प्रतिभूति संव्यवहार कर की दर को 0.01 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.0133 प्रतिशत किया जाए। यह भी प्रस्ताव है कि क्रम सं0 5 के सामने स्तंभ (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के साधारण शेयरोन्मुख निधि के यूनिटों के कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के संबंध में प्रतिभूति संव्यवहार कर की दर को 0.015 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.02 प्रतिशत किया जाए।

उपखंड (ग) में प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2005 से प्रभावी होंगे।